



**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

पत्रांक— BRRDA(HQ)-MMGSY-NDB-416/25  
प्रेषक,

२४६

/पटना, दिनांक—  
०६/१०/२३

संजय कुमार, भाष्ट्रोसे०  
संयुक्त सचिव,  
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)  
बिहार, पटना।

विषय : मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (NDB(BRICS) सम्पोषित) मुख्य शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष—००, लघु शीर्ष—१०३—ग्राम विकास—उप शीर्ष—०५१९ (एन०डी०बी०), विपत्र कोड—३७— 4515001030519 के अंतर्गत योजना के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

प्रसंगः— पूर्व में प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति का पत्रांक—BRRDA(HQ)-MMGSY(NDB)-132/22-936, दिनांक—३१.०५.२०२३।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना [NDB(BRICS) सम्पोषित] अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिए कार्य प्रमंडल, झंझारपुर के अधीन प्रासंगिक पत्र के क्रम संख्या—१३ पर अंकित योजना Narayanpur to Kako, Length=1.630 Km, के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य सहित मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना [NDB(BRICS) सम्पोषित] अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025—26 में निम्न तालिका के स्तम्भ—१३ में अंकित राशि के लिए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

Table-A

District	Division	Block	Target Habitation Name	Population Benifited	Name of Road		Link No	Length (Km)	Original Administrative Approval Amount (in Lakh)	Revised Length (Km)	Revised Administrative Approval Amount (in Lakh)
२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
Madhubani	Jhanjhar pur	Jhanjharpur	Narayani pur rai Tol	310	Narayani pur	Kako		1.630	179.720	2.536	215.906
Grand Total								2.400	179.720	2.536	215.906

2. इस योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैः—

- (क) इस योजना को इस वित्तीय वर्ष, अर्थात् वर्ष 2025—26 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
- (ख) कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झंझारपुर प्राक्कलन के विशिष्टिताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (ग) कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झंझारपुर योजना के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (घ) कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झंझारपुर स्वीकृत योजना की प्रविष्टि राज्य कोर नेटवर्क के मानचित्र पर भी करना सुनिश्चित करेंगे।
- (ङ) कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झंझारपुर सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत योजना किसी अन्य योजना के अन्तर्गत समिलित नहीं है।
- (च) इन योजनाओं के पंचवर्षीय रख—रखाव की राशि 3054 मद् से भारित किया जायेगा।



3. कार्यों का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना की मार्गदर्शिका के आलोक में किया जाएगा।
4. सारणी में अंकित उक्त योजना की पुनरीक्षित प्रबासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री महोदय द्वारा संचिका संख्या— BRRDA(HQ)-MMGSY-NDB-416/25 के पृष्ठ-10 /टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।
5. पूरक एकरारनामा में वृद्धि वाले मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के अनुमोदित दर पर एवं नए मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के समय प्रभावी अनुसूचित दर (SOR) के अनुसार होगी, जिसके निर्धारण का दायित्व संबंधित अधीक्षण अभियंता का है। यह उससे कम हो सकती है किन्तु किसी भी परिस्थिति में प्राथमिक एकरारनामा की दर एवं प्राथमिक एकरारनामा के समय प्रभावी अनुसूचित दर (SOR) से अधिक नहीं होगी।
6. योजना की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिष्ठित किया जायेगा।
7. (क) ब्रांड के लिए निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राष्ट्रीय की निकासी की जाएगी।
  - (ख) कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विषिष्टताओं/ विषिष्टि के अनुरूप कार्यान्वयित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राष्ट्रीय की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
  - (ग) वित्त विभाग की संकल्प संख्या एम-4-53 /2007-12888 /वि०, दिनांक—03.12.2024 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राष्ट्रीय की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
  - (घ) यह राष्ट्रीय उसी मद में खर्च की जाएगी जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
  - (ड.) प्राक्कलन की विषिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिष्ठित किया जाएगा।
  - (च) योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेषों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिष्ठित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।
  - (छ) संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निष्ठित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
8. स्वीकृत्यादेष प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या— BRRDA(HQ)-MMGSY-NDB-416/25 पृष्ठ संख्या—!२... /टि० पर दिनांक ०६/०१/२५ को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

6/10/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:—BRRDA(HQ)-MMGSY-NDB-416/25

2886

/पटना, दिनांक—०६/०१/२५

प्रतिलिपि:— महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/माननीय विभागीय मंत्री महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग के आप सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/ संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Manager, ग्रामीण कार्य विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6/10/25

सरकार के संयुक्त सचिव